

बैठक कार्यवाही विवरण


मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना, 2017 की प्रगति की समीक्षा एवं इससे जुड़े अन्तर विभागीय मुद्दे के संबंध में माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आज दिनांक 25.05.2017 को सांय 04.00 बजे आयोजित हुई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।

बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. कच्ची बस्ती नीति के अन्तर्गत नियमन किये जाने के लिये सर्वे के पश्चात परन्तु दिनांक 15.08.2009 तक यदि किसी सर्वेधारी ने भूखण्ड का हस्तांतरण किसी अन्य को कर दिया गया है तो वर्तमान में ऐसे कब्जेधारी व हस्तान्तरित के नाम भूखण्ड का आवंटन किया जावे। ऐसे आवंटनी से अतिरिक्त राशि वसूल करते हुए नियमित किया जावे। इस बाबत स्थानीय निकाय विभाग द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु पेश किया जावे।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फायर सेस की वसूली की है उस प्राप्त राशि को नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित की जावे। नगर निगम, जयपुर उस राशि का उपयोग फायर सेस जिस उद्देश्य के लिया गया है, उसी उद्देश्य के लिए काम में लेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में इस राशि को उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को यह निर्देश दिये गये कि उनके यहां जो कालोनियां विकसित हो चुकी है, उन सभी कालोनियों को नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित करे। ऐसी कालोनी समस्त परिसम्पत्तियों के साथ नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित की जावेगी। हस्तान्तरण के पश्चात समस्त कार्यवाही नगर निगम, जयपुर के द्वारा सम्पादित की जावेगी। इस हेतु विस्तृत आदेश राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा जारी किये जाएंगे।
4. महापौर एवं आयुक्त, नगर निगम, जयपुर के द्वारा हस्तांतरित की गई कालोनियों के विकास के लिए एवं उनको देय राशि बाबत मांग उठाई गई। यह निर्देशित किया गया कि इस बाबत शीघ्र ही आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर व नगर निगम, जयपुर बैठकर राशि बाबत सहमति बना ले।


5. गत वर्ष की तुलना में रियल एस्टेट में आई मंदी व जमीनों की कीमते कम होने के कारण नीलामी दरों में संशोधन किया जावे ताकि नीलामी किये जाने वाले भूखण्डों पर प्राप्त बोली बाजार दर के अनुकूल आ सके। नगरीय विकास विभाग अपने स्तर पर परीक्षण करके आवश्यक आदेश जारी करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करे।
 6. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित की गई कालोनी में रिक्त भूखण्डों पर नगर निगम, जयपुर के द्वारा पट्टा दिया जावे।
 7. स्थानीय निकाय विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे कि सिवायचक भूमि संबंधित नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित की जावे। यह कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित की जाए।
- तदनुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है-

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
- (2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- (3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
- (4) महापौर, नगर निगम, जयपुर।
- (5) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण।
- (6) सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (7) निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
- (8) संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (9) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (10) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (11) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- (12) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (13) रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम